APP-A
Orim-I

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

2022/83

जज अदालत न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजि. मुकाम झुंझुनूं

श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी झुंझुनूं बनाम श्री लोकेन्द्र सिंह गौड़ पुत्र लक्ष्मण सिंह गौड़

किस्म मुकदमा एफ.एस.एस. एक्ट 2006 नं. 6 सन् 2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 12.04.2022 | यह प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 एवं सपठित धारा 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैर सायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18.04.2022 को पेश हो। | |
| 18.04.2022 | पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदकगण संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।<br>अनावेदक/अभियुक्त संख्या 1 का कथन है कि वह मै0 श्री गणेश मिष्ठान भण्डार, गांधी चौक झुन्झुनू के नाम से मिठाई की दुकान पर विक्रेता के तौर पर कार्य करता है। मावा तैयार करने का कार्य दुकान मालिक करता है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये।<br>अनावेदक/अभियुक्त संख्या 2 का कथन है कि उसने मै0 श्री गणेश मिष्ठान भण्डार, गांधी चौक झुन्झुनू के नाम से मिठाई की दुकान कर रखी है। जहां वह मावा तैयार करता है। अनावेदक सख्या 1 ने मावे में अपने स्तर पर कोई मिलावट नही की है। मावे में फैट की कमी प्रोसेसिंग के कारण कभी–कभी हो जाती है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये।<br>हस्तगत प्रकरण प्रकरण मे खाद्य वि[illegible]पुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./43/[illegible] खाद्य पदार्थ मावा सबस्टैण्डर्ड (Sub-Standard ) पाया गया है। [illegible] एफ.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूंकि अनावेदक सख्या 2 अपनी दुकान मै0 श्री गणेश मिष्ठान भण्डार पर मावा स्वयं [illegible] करता है अनावेदक संख्या 1 अनावेदक संख्या 2 के पास विक्रेता की हैसियत से रहता है तथा अनावेदक संख्या 2 मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ मावा के सबस्टैण्डर्ड (Sub-Standard ) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक संख्या 2 श्री रामोतार हलवाई पुत्र बजरंग लाल हलवाई मालिक मै0 श्री गणेश मिष्ठान भण्डार, गांधी चौक झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक संख्या 2 को 5000/– पांच हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित | Ramotar<br>रामोतार हलवाई<br>Lokendra<br>लोकेन्द्र सिंह |

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:32:39 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा |
|---|---|---|
| | किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:32:39 IST
Reason: SelfAttested